भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1358
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरित

डीपीडीपी के अंतर्गत किए गए कार्य

1358. श्री विष्णु दत्त शर्माः
श्री उम्मेदा राम बेनीवालः
श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में लागू की जा रहीं विभिन्न पंचायत योजनाओं का राज्यवार नाम और ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पन्ना, कटनी और छतरपुरजिले के खजुराहो क्षेत्र में किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों सहित राज्यवार लागू की जा रहीं इस प्रकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत के लिए स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का राज्यवार और वर्षवार व्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पंचायत योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या पंचायत योजना के अंतर्गत वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(च) क्या पंचायत स्तर पर स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) (**i)** निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और उनके पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत करने**,** ग्राम पंचायत भवन और कम्प्यूटरीकरण जैसी बुनियादी अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना, **(ii)** पीआरआई के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करना (आईओपी)**,** आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक**,**जिसके तहत सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं की प्रदायगी में सुधार के लिए उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन सहित अवार्ड दिए जाते हैं**, (iii)** ई-पंचायत मिशन मोड

परियोजना (एमएमपी-ईपंचायत), आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक, जिसके तहत पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और इसके समग्र परिवर्तन के लिए पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है, का कार्यान्वयन कर रहा है। ये योजनाएँ मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लागू की गई हैं। गांवों में ग्रामीण परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने के लिए गांवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मानचित्रण (स्वामित्व) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ-साथ अधिकांश अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

(ख) जिला पंचायत विकास योजना और परियोजना क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करके मध्य प्रदेश की विभिन्न जिला पंचायतों में कुल **3201** परियोजना कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से **1145** परियोजनाएं पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में शुरू की गई हैं।

(ग) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान पंचायती राज मंत्रालय के वित्त आयोग अनुदानों और योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, वीडियो-सम्मेलनों, डैशबोर्ड डेटा आदि के माध्यम से पंचायती राज योजनाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जा रही है और इस तरह योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और धनराशि के उपयोग के लिए उनके कार्य-निष्पादन में सुधार किया जा रहा है। योजना के तहत अनुदान जारी करने और उसकी ट्रैकिंग के लिए लेन-देन आधारित सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरू की गई है। मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। इसके अलावा, उपयोग किए गए केंद्रीय वित्त आयोग के फंड के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लीकेशन भी तैयार की गई है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया गया है। वास्तविक समय प्रशिक्षण निगरानी की सुविधा के लिए एक प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) तैयार किया गया और संचालित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लीकेशन ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

(ङ) उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों के लिए क्रियान्वित योजनाएं कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए हैं।

(च) विकेन्द्रीकृत भागीदारीपूर्ण ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली में ग्राम सभा का प्रावधान है, जहां ग्राम पंचायतों के सभी मतदाता ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन जैसे सभी प्रमुख निर्णयों में भाग लेते हैं।

अनुबंध-I

"डीपीडीपी योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्य" के संबंध में दिनांक 11.02.2025को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1358के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त आयोग अनुदान	
	आवंटित निधि	जारी की गई निधि
आंध्र प्रदेश	11227.13	10853.60
अरुणाचल प्रदेश	1005.44	622.38
असम	6900.19	6721.45
बिहार	22821.25	22099.03
छत्तीसगढ़	6356.94	6183.89
गोवा	285.53	200.04
गुजरात	13092.26	12807.33
हरियाणा	5322.68	5168.42
हिमाचल प्रदेश	1955.36	1881.68
#जम्मू एवं कश्मीर	1049.49	0.00
झारखंड	7370.12	7170.59
कर्नाटक	13361.39	12276.77
केरल	6554.30	6421.73
मध्य प्रदेश	17168.48	16457.38
महाराष्ट्र	23660.70	21479.63
मणिपुर	642.43	298.13
मेघालय	598.00	249.50
मिजोरम	305.00	233.00
नागालैंड	410.00	217.00
ओडिशा	10083.59	9791.45
पंजाब	5789.58	5638.93
राजस्थान	16792.90	16200.31
सिक्किम	183.99	179.09

तमिलनाडु	14484.50	13646.11
तेलंगाना	7685.68	7502.48
त्रिपुरा	728.71	717.63
उत्तर प्रदेश	42813.04	41632.47
उत्तराखंड	2454.44	2384.34
पश्चिम बंगाल	18766.01	18169.25
कुल	**259869.13**	**247203.60**

अनुबंध-II

"डीपीडीपी योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्य" के संबंध में दिनांक 11.02.2025को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1358के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरजीएसए	आईओपी	स्वामित्व
	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
आंध्र प्रदेश	60.88	10.21	0.27
अरुणाचल प्रदेश	250.44	2.35	0.17
असम	226.366	6.27	1.09
बिहार	122.14	7.58	
छत्तीसगढ	29.54	7.38	0.13
गोवा	1.48	0	
गुजरात	0	7.42	0.30
हरियाणा	9.89	4.97	0.22
हिमाचल प्रदेश	144.475	5.72	0.41
झारखंड	41.08	7.06	
कर्नाटक	85.59	6.27	0.08
केरल	60.53	11	0.04
मध्य प्रदेश	264.18	10.25	0.93
महाराष्ट्र	302.498	13.12	0.10
मणिपुर	29.12	3.73	
मेघालय	12.6	0.15	
मिजोरम	51.52	2.05	0.03
नागालैंड	22.24	0.62	
ओडिशा	43.001	18.23	0.11
पंजाब	68.483	6.68	0.60
राजस्थान	51.97	6.77	0.61
सिक्किम	23.05	3.39	
तमिलनाडु	127.49	8.28	
तेलंगाना	32	19.6	
त्रिपुरा	24.43	6.75	0.04
उत्तर प्रदेश	454.716	6.01	1.45
उत्तराखंड	157.69	19.85	0.15
पश्चिम बंगाल	130.732	7.95	
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0.79	1.34	
चंडीगढ़			
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.14	4.07	0.02
दिल्ली			

जम्मू और कश्मीर	176.19	4.41	
लद्दाख	3.23	0.43	
लक्षद्वीप	1	0.4	
पुदुचेरी	0		
कुल	**3048.66**	**220.31**	**6.75**

नोट: आरजीएसए और आईओपी योजना के तहत, राज्य/जिला विशेष निधि का कोई पूर्व आवंटन नहीं किया जाता है। एमएमपी-ईपंचायत के तहत, योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है और इसके बजाय विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है। स्वामित्व योजना 2020-21 से लागू है और राज्यों को आईईसी गतिविधियों के लिए सीमित धनराशि प्रदान की जाती है।

***